

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नज
मिश्री
उमदान सरकार बनाम १८५/११... ११/११/११.....

८८ व १८८ RTA

मुकदमा नं० १२/०११.. निर्णय दि०..... २१/१/२१

आदेश

वाद वादी खारिया किया जाकर प्रतिवादीगण १/१ व १/१ को आराजी ख. नं. $\frac{1064}{1}$ व $\frac{1064}{2}$ मूल उबीधा ६ बिघा ग्राम का खारिया घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण द्वारा वेदखली का कोई अनुतोष नहीं पल गया है अतः वादीगण के विरुद्ध स्थायी निवेदाज्ञा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है प्रतिवादीगण प्रत्येक से वेदखली वाद लाने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दि. २१.१.२१ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Dr
(खारिया सिंह)

२१/१/२१

उपस्थित नारी
सिंह

